कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

आण्डा लखोण्ड,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001

ई मेल: mdnhmuk@gmail.comफोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक: UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-IV/ 1550 दिनांक: 16/मई/2026

सेवा में,

सभस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 31 मई, 2026 के आयोजन विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक Joint Secretary, Govt. Of India, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi के D.O. No. Z. 16016/01/2026-TC-Part(I). दिनांक 15.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (संलग्न)। जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 31 मई को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" मनाया जाता है। उक्त दिवस को तम्बाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0), सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम– (COTPA, 2003) तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA, 2019) जैसे तम्बाकू नियंत्रण के प्रभावी कियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

अवगत कराना है कि तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर आधारित इस वर्ष की **थीम "Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products"** है। उक्त के क्रम में **31 मई को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 2026** के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार गतिविधियाँ सुझाई गयी है:–

1- Special enforcement drives to be undertaken for the enforcement of COTPA, 2003 and PECA, 2019. Emphasis should be on Section 4 (prohibition on ban on smoking in public places), Section 5 (prohibition on advertisement oftobacco products), Section 6 (prohibition on sale within 100 yards of an educational institution & sale to and by persons aged less than 18 years) and Section 7 (prohibition on sale of tobacco products without statutory pictorial warnings) of COTPA, 2003 and Section 4 (production, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution, and advertisement of electronic cigarettes) and Section 5 (storage of electronic cigarettes) of PECA, 2019.

2- An action plan for implementation ofthe revised guidelines for Tobacco Free Educational institutions (ToFEI,2019) should be prepared and launched at the State level events, aiming that all the educational institutions implement the guidelines strictly and be certified as tobacco free.

3- other suggestive activities may also be undertaken for the WNTD campaign for 2026. Some suggestive activities are wide print media coverage, pamphlets in schools, wall paintings, hoardings, awareness drives through celebrities, making/public announcements, social media, television, radio jinglesl street plays, nukkad natak, puppet shows, engagement with NCC/NSS/NYK for rallies and prabhat pheries, etc.

4- The Ministry has already launched the NTCP Mis for monitoring efforts for the implementation of COTPA, PECA and activities under the NTCP. It may be noted that the. Above list is indicative only, and states/UT's are encouraged to undertake other measures with the objective of tobacco control in the larger interest ofpublic health.

कार्यक्रम के अन्तर्गत "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 2025 के अवसर पर गतिविधियों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित PIP (NPCC की बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है) जिसमें उक्त दिवस के आयोजन हेतु प्रति जनपद धनराशि रू0 0.50 लाख है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

डाण्डा लखौण्ड,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001

ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.comफोन / फैक्स 0135-2608646

अतः **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 31 मई 2026** के अवसर पर उक्तानुसार गतिविधियों का आयोजन करना सुनिश्चित करें। साथ ही आयोजित की गयी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रति दिन **NTCP MIS Portal** पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। एवं उक्त दिवस पर आयोजित गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट/सूचना फोटोग्राफ सहित मिशन निदेशक कार्यालय को यथा समय उपलब्ध करायें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीया,

(डा0 रश्मि प्रन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(डा0 रश्मि प्रन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner